

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 163/2020

- 1 ललित साई पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

वादी

बनाम

- 1 नरेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 2 मिनल पुत्री नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 18 जीजी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 3 खुशबू पुत्री नरेन्द्र कुमार पत्नी महेन्द्र कालरा जाति जाट निवासी रावलामण्डी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
- 4 सोनम पुत्री नरेन्द्र कुमार पत्नी अमित भादू जाति जाट निवासी भाम्भूवाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्त्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री मनोहरलाल सहारण वकील वादी मिन जामिन मुद्ई श्री इन्द्रजीत जलंधरा अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुघायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- चक 7 टीकेडब्ल्यू की जमाबंदी 2072-2075 के खाता संख्या 49/49 प0न0 13/215 के मु0न0 8 के कि0न0 1 ता 25 में 5.2380 है0 रकबा नहरी मय खाला आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.09.2020 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

